कार्यालय नगर परिषद्, बगहा, प० चम्पारण।

स्वच्छता साथी के चयन हेतु विज्ञापन

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–4081, दिनांक–26.12.2024 द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 अन्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के कार्यान्वयन हेतु दिशा निर्देश के आलोक में स्वच्छता साथी का चयन किया जाना है जिसकी विवरणी निम्वत हैः–

स्वच्छता साथी के जिम्मेदारी, चयन प्रक्रिया एवं दिशा–निर्देश स्वच्छता साथी कौन होगेः–

1. स्वच्छता साथी कोई भी भारतीय हो सकता है परन्तु लोकल व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
2. अभ्यार्थी की उम्र 40 से अधिक ना हो।
3. अभ्यार्थी को कम से कम मैट्रिक पास होना चाहिए।
4. अभ्यार्थी की आवाज साफ हो ताकि वे अच्छे से Communicate कर सके।
5. अभ्यार्थी को स्वच्छता से संबंधित कार्यो में कम एक वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
6. अभ्यार्थी के रुप में Waste picker, Citizen Leader, SHG member, Swachhagarhi, Sanitation Worker, Brand Ambassadors एवं NULM, ASHA, Anganwadi worker, NGOs youth, Community Based Organizations, RWAs से संबंधित व्यक्ति या अन्य कोई भी आवेदन कर सकते है।
7. नगर परिषद स्तर पर कुल–10 स्वच्छ साथी।

स्वच्छता साथी को मिलने वाले लाभः–

1. कार्य अवधि पांच घंटे प्रतिदिन न्यूनतम होगी।
2. प्रतिदिन की उपस्थिति संधारित की जाएगी।
3. छुट्टी हेतु निकाय की प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।
4. मानदेय प्रत्येक माह के एक से पांच तारीख तक देय होगा।
5. प्रतिदिन रु0 300.00 के दर से प्रतिमाह 20 दिन का मानदेय 300X20=6000.00 रु0 मानदेय के रुप में देय होगा।
6. स्वच्छता साथी को Contractual Basis पर एक वर्ष के लिए Hire किया जाएगा, जिसकी अवधी अक्टूबर, 2026 तक बढ़ाई जा सकती है।
7. प्रत्येक स्वच्छ साथी को प्रत्येक वर्ष 200 दिनों के लिए Engage किया जाएगा।
8. 200 कां दिवस प्रत्येक माह में 20 दिन का होगा जो वर्ष के किसी भी 10 माह (स्वच्छ सर्वेक्षण को ध्यान में रखते हुए) में मान्य होगा।
9. सभी स्वच्छ साथी को Monitor करने की जिम्मेदारी सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधक पदाधिकारी की होगी।
10. छुट्टी एवं अन्य समस्याओं से संबंधित मामले सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधक पदाधिकारी देखेंगे।
11. किये गये कार्य की समीक्षा प्रत्येक माह की जाएगी एवं लगातार तीन माह तक कार्य संतोषजनक नहीं होने पर हटाने की कार्रवाई की जा सकती है।
12. इस विज्ञापान के शर्तो को किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के आंशिक या पूर्णतः संशोधित करने अथवा रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा।

नोटः–1. यह किसी भी प्रकार से Permanent Position नहीं है, अतः किसी भी तरह का Claim मान्य नहीं होगा। स्वच्छता साथी नगर निकाय के कर्मी नहीं माने जायेंगे एवं भविष्य में किसी भी प्रकार का दैनिक/संविदा/नियमित की नियुक्ति का दावा मान्य नहीं होगा।

2. विशेष जानकारी नगर परिषद्, बगहा से कार्यालय अवधि में प्राप्त की जा सकती है।

3. आवेदन पत्र दिए गए प्रपत्र में नगर परिषद्, कार्यालय में 25 जनवरी 2025 तक जमा करना होगा।

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद्, बगहा।

Scanned with OKEN Scanner